प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय:- जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी जनपद-झॉसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-31436/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.10.2023) दिनांक 19.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र श्री शेर सिंह, बाहर बड़ागांव गेट नारायनबाग, मद्रासी कालोनी, थाना-कोतवाली झॉसी, जनपद-झॉसी का निवासी है। पुलिस द्वारा छापा मारकर अवैध शस्त्र घर से बरामद किये जाने की शक की रंजिश दिनांक 30.03.2007 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-92/2007 में भा०द०वि० की धारा-148, 302/149, 323/149 में मा० विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम, झॉसी के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 24.08.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 माह 20 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 08 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा बंदी की शारीरिक दशा एवं बंदी द्वारा किये गये कृत्य के पश्चाताप की भावना न होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए साथ ही भविष्य में अपराध करने की सम्भावना को देखते हुए एवं विपक्षी से विवाद होने की स्थिति को देखते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुलिस द्वारा छापा मारकर अवैध शस्त्र घर से बरामद किये जाने की शक की रंजिश दिनांक 30.03.2007 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र श्री शेर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामपाल (बंदी संख्या-44/2011) पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी जनपद-झाँसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-384/2025/3898(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-384/2025/3898/22-2-2023-17(1246)/2023

दिनांक 30 अपैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र श्री शेर सिंह, बाहर बड़ागांव गेट नारायनबाग, मद्रासी कालोनी, थाना-कोतवाली झॉसी, जनपद-झॉसी का निवासी है। पुलिस द्वारा छापा मारकर अवैध शस्त्र घर से बरामद किये जाने की शक की रंजिश दिनांक 30.03.2007 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-92/2007 में भा०द०वि० की धारा-148, 302/149, 323/149 में मा० विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम, झॉसी के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 24.08.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 माह 20 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 08 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा बंदी की शारीरिक दशा एवं बंदी द्वारा किये गये कृत्य के पश्चाताप की भावना न होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए साथ ही भविष्य में अपराध करने की सम्भावना को देखते हुए एवं विपक्षी से विवाद होने की स्थिति को देखते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुलिस द्वारा छापा मारकर अवैध शस्त्र घर से बरामद किये जाने की शक की रंजिश दिनांक 30.03.2007 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र श्री शेर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in